



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पहली
FIRST

अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2021-2022

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

जुलाई, July, 2021

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2021-2022

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2021-2022.

वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 47 अनुदान मांगें तथा 1 विनियोग हैं। ₹1,87,202.41 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹23,674.81 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹1,63,526.88 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹72 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2021-22 includes 47 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹1,87,202.41 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹23,674.81 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1,63,526.88 crore. Besides, token provision of ₹72 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
भाविनी द्वारा एसबीआई को ऋण का भुगतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹80 करोड़ के अग्रिम अनुदान की प्रतिपूर्ति करने के लिए (₹480 करोड़)।	For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India of ₹80 crore for making payment of loan to SBI taken by BHAVINI (₹480 crore).	-	80.00	80.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7 भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
(i) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) (₹118 करोड़) और (ii) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) (₹21 करोड़) के कर्मचारियों की लंबित देयताओं को ऋण के रूप में चुकाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For additional expenditure to clear pending employee dues of (i) Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL) (₹118 crore) and (ii) Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (RDPL) (₹21 crore) as loan.	-	139.00	139.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
(क) (i) एयर इंडिया- जीएसटी शामिल करने के कारण संशोधित भुगतान के लिए विशेष अतिरिक्त खंड उड़ान हेतु नए विमान की खरीद के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹178.24 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets for purchase of New Aircraft for Special Extra Section Flight (SESF) (₹178.24 crore) and (ii) Grants-in-aid General under National Aviation University (₹1.50 crore).	178.24	-	178.24
(ख) भारत की आकस्मिकता निधि से लिए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए एयर इंडिया लिमिटेड को ऋण और अग्रिम।	(b) For Loans & Advances to Air India Ltd. for recoupment of advance from Contingency Fund of India	-	1,872.00	1,872.00
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
2019-20 सत्र के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने हेतु।	For providing assistance to Sugar Mills for 2019-20 season.	1,100.00	-	1,100.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
28 विदेश मंत्रालय	28 Ministry of External Affairs			
अनुसंधान एवं नवोन्मेष के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure under Research and Innovation.	370.00	-	370.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31 वित्तीय सेवा विभाग	31 Department of Financial Services			
ऋण अधिस्थगन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के तहत उधारकर्ता के संबंध में उधार देने वाली संस्थाओं को चक्रवृद्धि ब्याज सहायता।	For Compounded interest support to lending institutions in respect of borrowers under compounded interest support scheme for loan moratorium.	1,750.00	-	1,750.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
44 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	44 Department of Health and Family Welfare			
(क) विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹234.64 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹432 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹169.83 करोड़) और सहायता अनुदान से अन्य व्यय को पूरा करने के लिए, (₹3306.89 करोड़) जिसमें से ₹459.26 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹234.64 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹432 crore), Grants-in-aid Salaries (₹169.83 crore) and other than Grants-in-aid (₹3306.89 crore) under various institutions. Of which ₹459.26 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India.	3,650.37	-	3,650.37
(ख) भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-II के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹23.21 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹9.89 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹27.26 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹23.21 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹9.89 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹27.26 crore) under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II.	60.36	-	60.36
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-II (जीबीएस)-के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II (GBS).	10,727.50	-	10,727.50
(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-II (जीबीएस)-के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II (GBS).	1,479.65	-	1,479.65
(ङ) निम्नलिखित के लिए भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी)/(जीबीएस) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (i) आपूर्ति एवं सामग्री, मशीनरी और उपकरण की अधिप्राप्ति (ईएपी) (₹481.16 करोड़) और (ii) स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया (जीबीएस) (मशीनरी और उपकरण) (₹30.50 करोड़) (iii) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (जीबीएस) (मशीनरी और उपकरण) (₹25 करोड़) और (ईएपी) मशीनरी और उपकरण (₹9 करोड़), जिसमें से ₹490.16 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है।	(e) For meeting expenditure under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package (EAP)/(GBS) for (i) Procurement of Supplies & Materials, Machinery & Equipment (EAP) (₹481.16 crore) and (ii) Health Sector Disaster Preparedness and Response (GBS) (Machinery and Equipment) (₹30.50 crore), (iii) National Centre for Disease Control (GBS) (Machinery and Equipment) (₹25 crore) and (EAP) Machinery and Equipment (₹9 crore). Of which ₹490.16 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India.	-	545.66	545.66

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
45 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) हेतु, भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹526.28 करोड़ अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए, जिसमें ईएपी के तहत आपातकालीन महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹423.41 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹102.87 करोड़) शामिल है।	45 Department of Health Research For recoupment of advance of ₹526.28 crore drawn from Contingency Fund of India for Indian Council of Medical Research (ICMR) comprising of Grant in Aid General (₹423.41 crore) and Grant for Creation of Capital Assets (₹102.87 crore) for Emergency Epidemic Preparedness and Response under EAP.	526.28	-	526.28
विधि और न्याय मंत्रालय 64 विधि और न्याय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अकादमिक एवं प्रचालनात्मक व्यय (₹18.25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹5 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 64 Law and Justice For meeting additional expenditure under Grants-in-aid General for academic and operational expenditure (₹18.25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹5 crore) of National Judicial Academy.	23.25	-	23.25
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 95 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2019-20 के लिए लंबित देनदारियों को मंजूरी देने के लिए एमपीएलएडीएस के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 95 Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under MPLADS for clearing pending liabilities for 2019-20.	1,172.50	-	1172.50
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	21,038.15	2,636.66	23,674.81

3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹1,63,526.88 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹1,63,526.88 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments.
The items are as follows:

तकनीकी पूरक अनुदान	Technical Supplementary Demands for grants	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग 3 परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) परियोजना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy For meeting additional expenditure towards International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) Project.	-	520.00	520.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय 7 भेषज विभाग (i) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के भारत सरकार के ऋण की माफी (₹889.50 करोड़) और (ii) बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के भारत सरकार के ऋण (₹107.49 करोड़) और प्रोद्भूत ब्याज (₹86.22 करोड़) की माफी के लिए।	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 7 Department of Pharmaceuticals For waiver of Government of India Loan of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL) (₹889.50 crore) and (ii) Waiver of GoI Loan (₹ 107.49 crore) and accrued interest (₹86.22 crore) of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL).	1,083.21	-	1,083.21
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 वाणिज्य विभाग 'सचिवालय' योजना के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 10 Department of Commerce For meeting expenditure towards Other Charges under the scheme 'Secretariat'.	0.50	-	0.50

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18 रक्षा मंत्रालय (सिविल) कैंटीन स्टोर विभाग के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	18 Ministry of Defence (Civil) For meeting additional expenditure arising out of court decrees for Canteen Stores Department.	1.52	-	1.52
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से मूल्यों के रखरखाव (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	29 Department of Economic Affairs For meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV) - IMF Obligation through issue of securities.	-	2,641.67	2,641.67
35 अप्रत्यक्ष कर निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों (आरओडीटीईपी) की छूट के प्रावधान को बढ़ाने/राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क (आरओएससीटीएल) योजना में छूट और भारत से निर्यात सेवा योजना (एसईआईएस)/भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात योजना (एमईआईएस)/आरओएससीटीएल/विविध अन्य योजनाओं के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए।	35 Indirect Taxes For augmenting the provision of Remission of Duties & Taxes on Exported Products / Rebate of State and Central Taxes and Levies scheme and to pay off the arrears for Service Exports from India Scheme/Merchandise Exports from India Scheme/RoSCTL Miscellaneous other schemes.	0.02	-	0.02
40 राज्यों को अंतरण जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के एवज में राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण के अंतर्गत विशेष विंडो के तहत ऋण जारी करने के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए।	40 Transfers to States For providing loans to State Governments through issue of debt under special window under Back to Back Loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall.	-	1,58,999.99	1,58,999.99
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
46 भारी उद्योग विभाग (क) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	46 Department of Heavy Industry (a) For meeting expenditure towards Investment under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'. (b) For meeting expenditure towards Loans and Advances under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'.	-	78.41	78.41
		-	31.63	31.63
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के लिए 'नदी बेसिन प्रबंधन' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹13.12 करोड़) (ii) ईएपी घटक के लिए 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25 करोड़) (iii) कार्यक्रम घटक के लिए 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25 करोड़)।	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation For meeting expenditure towards (i) Grants-in aid Salaries under the scheme 'River Basin Management' for National Water Development Agency (NWDA) (₹13.12 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹25 crore) under the scheme 'National Hydrology Project (NHP)' for EAP Component and (iii) Grants-in-aid General (₹25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹25 crore) under the scheme 'National Hydrology Project (NHP)' for Program Component.	50.00	-	50.00
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
91 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 'सचिवालय' योजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	91 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Secretariat.	-	10.00	10.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
97 कपड़ा मंत्रालय	97 Ministry of Textiles			
‘सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता’ योजना के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों हेतु व्यय पूरा करने लिए।	For meeting expenditure towards Loans and Advances under the scheme Support to PSU’s.	-	66.21	66.21
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा मामले और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) (i) युवा छात्रावास योजना के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹1.68 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय (₹0.72 करोड़) एवं खेलो इंडिया (₹100 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹1.68 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under scheme Sports University in North East (₹0.72 crore) and Khelo India (₹100 crore).	0.72	-	0.72
(ख) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹187.78 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Sports University in North East (₹187.78 crore).	43.00	-	43.00
कुल तकनीकी	Total Technical	1,178.97	1,62,347.91	1,63,526.88

4. नीचे दिए गए मदों के संबंध में लिए जाने के लिए प्रत्येक ₹1 लाख का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, इसके प्रति इंगित व्यय को प्रासंगिक अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान

Token Supplementary Demands for grants

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
4 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: 1. राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (स्वच्छता कार्य योजना) (₹0.01 करोड़) 2. चिकित्सकीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत प्रयोजन शीर्षो यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹42.05 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (₹0.88 करोड़) 3. राष्ट्रीय भारतीय औषध प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) नामक नवगठित सांविधिक निकाय के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹7.80 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹3.17 करोड़) 4. नई स्कीम आयुर्ज्ञान और उसकी उप-स्कीमों नामतः (i) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षण और उसके प्रयोजन शीर्षो यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹5.56 करोड़) और अन्य	(a) For meeting expenditure under 1. Grant in Aid General (Swachhta Action Plan) (₹ 0.01 crore) for National Institute of Sowa Rigpa (NISR) 2. Grant-in-Aid-General (₹ 42.05 crore) and Grant-in-Aid-General (SCSP) (₹ 0.88 crore) under Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants 3. Grant-in-Aid General (₹ 7.80 crore), Grant-in-Aid Salary (₹ 3.17 crore) in respect of the newly constituted Statutory Body namely National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) 4. AYURGYAN (i) Capacity Building & Continuing Medical Education in AYUSH and its object heads viz. GIA General (₹ 5.56			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
प्रभारों (₹0.25 करोड़) (ii) आयुष और उसके प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹8.03 करोड़) और अन्य प्रभारों (₹0.02 करोड़) में अनुसंधान और नवाचार 5. आयुर्वास्थ योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹17.82 करोड़), अन्य प्रभारों (₹0.09 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹0.06 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए 6. आयुष औषधी गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.20 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.10 करोड़), अन्य प्रभारों (₹0.10 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹0.20 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	crore) and Other Charges (₹ 0.25 crore) (ii) Research and innovation in AYUSH and its object heads viz. Grant-in-Aid General (₹ 8.03 crore) and Other Charges (₹ 0.02 crore) 5. Grant-in-Aid General (₹ 17.82 crore), Other Charges (₹ 0.09 crore) and Professional Services (₹0.06 crore) under AYURSWASTHYA Yojana 6. Grant-in-Aid General (₹ 5.20 crore), Grant for creation of capital assets (₹ 0.10 crore), Other Charges (₹0.10 crore) and Professional Services (₹ 0.20 crore) under AYUSH Oushadhi Gunvatta evum Uttapadan Samvardhan Yojana (AOGUSY).	91.34	-	91.34
(ख) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for National Institute of Sowa Rigpa.	0.03	-	0.03
रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilizers			
निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹100.00 करोड़) के तहत ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु और (ii) अनुसंधान तथा विकास के लिए (₹0.10 करोड़) व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Brahmaputra Valley Fertilisers and Chemicals Ltd. (BVFCL) under Grants-in-aid (₹100 crore) and (ii) Research & Development Budget Head (₹0.10 crore)	100.10	-	100.10
कोयला मंत्रालय				
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
(i) 'कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा' उप स्कीम के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत सब्सिडियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹2.72 करोड़) और (ii) 'कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास (डीटीआईसी)' उप स्कीम के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत (₹22 करोड़) और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत (₹25.17 करोड़) सब्सिडियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Subsidies under (i) Special Component Plan for Scheduled Castes for Conservation Safety in Coal Mines (₹2.72 crore) and (ii) Special Component Plan for Scheduled Castes (₹22 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹25.17 crore) for Development of Transportation infrastructure in Coalfield Areas (DTIC).	49.89	-	49.89
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय				
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) 'सचिवालय' के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Professional Services under the scheme 'Secretariat'.	76.79	-	76.79
(ख) (i) 'चाय बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹213.77 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹10.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ii) 'काफी बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹10.79 करोड़) सब्सिडी (₹10.00 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹1.00 करोड़) (iii) 'रबर बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹60.00 करोड़) और (iv) 'मसाला बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.65 करोड़), वेतन सहायता अनुदान	(b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹ 213.77 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 10 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) Grants-in-aid Salary (₹ 10.79 crore), Subsidies (₹ 10 crore) and Grants-in-aid General (₹ 1 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iii) Grants-in-aid Salary (₹ 60 crore) under the scheme 'Rubber Board' and (iv) Grants-in-aid General (₹ 3.65 crore), Grants-in-aid Salary			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) (i) 'चाय बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹229.72 करोड़) और (ii) 'मसाला बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹3.69 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Subsidies under the schemes Tea Board (₹ 229.72 crore) and Spices Board (₹3.69 crore).	321.87	-	321.87
(घ) 'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद हेतु परिवहन और विपणन सहायता' (टीएमए) योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (₹500.00 करोड़) और (ii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹ 500 crore) under the scheme 'Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme for specified agriculture products' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) under the scheme 'Centre For Research on International Trade-CRIT'.	233.41	-	233.41
(ङ) भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि. (एमएमटीसी) योजना के अंतर्गत ऋण और अग्रिम हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards Loans and Advances under the scheme 'Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC)'.	500.01	-	500.01
		-	80.00	80.00

संस्कृति मंत्रालय

17 संस्कृति मंत्रालय

- (क) 1. सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) कला संस्कृति विकास योजना - (₹4 करोड़), (ii) अकादमियों को सहायता - (₹3 करोड़), पुस्तकालयों को सहायता (₹55.23 करोड़), संग्रहालयों को सहायता (₹16.62 करोड़) और (iii) बीटीआई और स्मारक - (₹0.20 करोड़) और (iv) अनुदानग्राही निकाय (₹0.40 करोड़) 2. निम्नलिखित हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) अकादमियों को सहायता - (₹2.50 करोड़), (ii) पुस्तकालयों को सहायता (₹5.06 करोड़) और (iii) संग्रहालयों को सहायता (₹13.71 करोड़) 3. संग्रहालयों को सहायता हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹6.50 करोड़) 4. 'प्रोजेक्ट मौसम' के लिए वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (₹0.25 करोड़) और के लिए अन्य प्रभार (₹3.25 करोड़) हेतु व्यावसायिक सेवाएं।
- (ख) पुस्तकालय और अभिलेखागार से संबंधित प्रमुख निर्माण कार्यों के तहत व्यय को पूरा करने हेतु।

MINISTRY OF CULTURE

17 Ministry of Culture

- (a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 4 crore) (ii) Support to Akademies (₹ 3 crore), Libraries (₹ 55.23 crore) and Museums (₹ 16.62 crore) (iii) BTI & Memorials - (₹0.20 crore) and (iv) Grantee Bodies (₹ 0.40 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Support to Akademies- (₹ 2.50 crore), Libraries (₹ 5.06 crore) and Museums (₹ 13.71 crore) 3. Grants-in-aid Salaries for Support to Museums (₹ 6.50 crore) 4. Professional Services (₹0.25 crore) and Other Charges (₹3.25 crore) for Global Engagement and International Cooperation for "Project Mausam".
- (b) For meeting expenditure towards Major Works pertaining to Library and Archives.

रक्षा मंत्रालय

20 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सेना के तहत 'मिलिट्री फार्म' के लिए अतिरिक्त देयता के कारण व्यय को पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF DEFENCE

20 Capital Outlay on Defence Services

For meeting expenditure on account of additional liability for Military Farms under Army.

- 0.03 0.03

शिक्षा मंत्रालय

24 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

- (क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) समग्र शिक्षा (₹19.40 करोड़), एग्जेंप्लर (₹2.66 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹7.84 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) समग्र शिक्षा (₹15.07 करोड़),

MINISTRY OF EDUCATION

24 Department of School Education and Literacy

- (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under Samagra Shiksha (₹19.40 crore), Exemplar (₹2.66 crore) and New India Literacy Programme (₹7.84 crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
एग्जेंप्लर (₹21.77 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (iii) समग्र शिक्षा (₹140 करोड़), एग्जेंप्लर (₹26 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹15 करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं और (iv) एग्जेंप्लर (₹4 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹0.25 करोड़) के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets under Samagra Shiksha (₹ 15.07 crore) and Exemplar (₹21.77 crore) (iii) Professional Services under Samagra Shiksha (₹140 crore), Exemplar (₹26 crore) and New India Literacy Programme (₹15 crore) and (iv) Advertising and Publicity under Exemplar (₹ 4 crore) and New India Literacy Programme (₹ 0.25 crore).	251.99	-	251.99
(ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) एग्जेंप्लर (₹60 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹17.48 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) एग्जेंप्लर के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹40 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under Exemplar (₹ 60 crore) and New India Literacy Programme (₹ 17.48 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Exemplar (₹40 crore).	117.48	-	117.48
(ग) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) एग्जेंप्लर (₹521.29 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹110.93 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) एग्जेंप्लर के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹347.54 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under Exemplar (₹ 521.29 crore) and New India Literacy Programme (₹ 110.93 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Exemplar (₹347.54 crore).	979.76	-	979.76
(घ) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) एग्जेंप्लर (₹16.04 करोड़) और नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹3.76 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) एग्जेंप्लर के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10.70 करोड़)।	(d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under Exemplar (₹ 16.04 crore) and New India Literacy Programme (₹ 3.76 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Exemplar (₹ 10.70 crore).	30.50	-	30.50

25 उच्चतर शिक्षा विभाग

- (क) (i) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान:- मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹4.64 करोड़), केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹109.08 करोड़) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: विश्वस्तरीय संस्थाएं (₹126 करोड़), वैश्विक अनुबंध संबंधी पहलें (₹9 करोड़), केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹5 करोड़), आयुर्विज्ञान संस्थान (बीएचयू) (₹16 करोड़), मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹1.60 करोड़), शिक्षक और शिक्षण (पीएमएमएमएमटीटी) पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (₹34.20 करोड़) को अनुदान, (iii) मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल योजना (₹0.46 करोड़) हेतु वेतन सहायता अनुदान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹187.92 करोड़) और (iv) आभासी कक्षाएं और बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) की स्थापना (₹15 करोड़) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

25 Department of Higher Education

- (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 4.64 crore), Grants to Central Universities (₹ 109.08 crore) (ii) Grants for creation of capital assets under schemes World Class Institutions (₹ 126 crore), Initiatives for global engagement (₹ 9 crore), Grants to Central Universities (₹ 5 crore), Grants to Institute of Medical Sciences (BHU) (₹ 16 crore), National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 1.60 crore), Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT) (₹ 34.20 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under the schemes National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 0.46 crore), Grants to Central Universities (₹ 187.92 crore) and (iv) 'Professional Services' under the scheme Setting up virtual

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) (i) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹7.18 करोड़) और (ii) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹7.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	classrooms and massive open online courses (MOOCs) (₹ 15 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹ 7.18 crore) and (ii) 'Professional Services' under the scheme Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹ 7.50 crore).	508.90	-	508.90
(ग) (i) शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएमटीटी) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.80 करोड़) (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹19 करोड़), एसएलआईटी, एनआईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹15 करोड़) और (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants for creation of capital assets under Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching (₹ 3.80 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries under Grants to Central Universities (₹ 19 crore), Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 15 crore) and (iii) Grants-in-aid General under Grants to Central Universities (₹ 8.50 crore).	14.68	-	14.68
		46.30	-	46.30
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹11.10 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.40 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets for National Biodiversity Authority (₹11.10 crore) and (ii) Grants-in-aid General for Swachhta Action Plan (₹6.40 crore).	17.50	-	17.50
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
नए विकास बैंक के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को दो वर्षों के लिए निःशुल्क सुसज्जित कार्यालय और कार्यालय सुविधा प्रदान करने के लिए।	For providing furnished office accommodation and office facilities for two years to Indian Regional Office of the New Development Bank.	0.53	-	0.53
34 प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes			
ई-ब्लॉक, बीकेसी, मुम्बई के आयकर कार्यालय भवन के विकास और पुनर्निर्माण के लिए निर्माण पूर्व कार्यकलाप हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting the expenditure towards preconstruction activities for the development and reconstruction of Income Tax office building of E Block, BKC, Mumbai.	-	5.61	5.61
40 राज्यों को अंतरण	40 Transfers to States			
राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) में से राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एसडीएमएफ के लिए।	For State Disaster Mitigation Fund (SDMF) in accordance with Fifteenth Finance Commission recommendations to release Grants-in-aid General to State Governments from SDMF.	4,436.80	-	4,436.80
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
42 पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	42 Department of Animal Husbandry and Dairying			
(क) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पूरा करने के लिए।	Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.	31.00	-	31.00
(ख) जापान इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी समितियों से राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत डेयरी के लिए सामान्य सहायता ₹56.10 (₹56.10 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) (₹12.45 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (टीएसपी) (₹6.45 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under General Component (₹56.10 crore), Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹12.45 crore) and Tribal Area Sub Plan (TASP) (₹6.45 crore) for Dairying through Cooperatives assisted by Japan Investment Corporation Agency (JICA) under the scheme Rashtriya Prashudhan Vikas Yojana.	75.00	-	75.00
(ग) राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना के तहत सामान्य घटकों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोगिता (एससीएसपी) (₹2 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (टीएसपी) (₹1 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under General Components (₹4 crore), Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) (₹2 crore) and Tribal Area Sub Plan (TASP) (₹1 crore) under the scheme National Livestock Mission.	7.00	-	7.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES		
43 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	43 Ministry of Food Processing Industries			
निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) के लिए कार्यालय व्यय (₹0.50 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹9 करोड़) और (ii) "ऑपरेशन ग्रीन्स" योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से परिवहन के लिए लाभार्थियों को परिवहन सब्सिडी के लिए भारतीय रेलवे को सब्सिडी (₹52 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Office Expenses (₹0.50 crore), Other Administrative Expenses (₹0.50 crore) and Professional Services (₹9 crore) for Production Linked Incentive Scheme (PLIS) for Food Processing Industry and (ii) Subsidies (₹52 crore) to Indian Railways towards transport subsidies to beneficiaries for transportation through Kisan Rail under scheme "Operation Greens".	62.00	-	62.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE		
44 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	44 Department of Health and Family Welfare			
जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों में अतिरिक्त आवश्यकता के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement for Grants for Creation of Capital Assets for Population Research Centres.	10.00	-	10.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES		
46 भारी उद्योग विभाग	46 Department of Heavy Industry			
(क) बीपीसीएल के परिसमापन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम राशि की संस्वीकृति की प्रतिपूर्ति के लिए 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Support to Central Public Sector Enterprises for recoupment of Contingency Fund India advance sanction for closure of BPCL.	168.22	-	168.22
(ख) ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध उद्योग विकास परिषद योजना के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Loans and advances under the scheme Development Council for Automobile and Allied Industries.	-	67.22	67.22

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
50 पुलिस	50 Police			
(क) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Border Area Development Programme (BADP).	16.00	-	16.00
(ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के तहत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Border Area Development Programme (BADP).	0.01	-	0.01
(ग) (i) प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य (₹25 करोड़) और (ii) असम रायफल के लिए मशीनरी और उपकरण (सामान्य) (₹16.34 करोड़) और मोटर वाहन (सामान्य) (₹8.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards (i) Major Works for Indo-Myanmar Border Works (₹25 crore) and (ii) Machinery & Equipment (Gen) (₹16.34 crore) and Motor Vehicles (Gen) (₹8.20 crore) for Assam Rifles.	-	49.54	49.54
54 लद्दाख	54 Ladakh			
(क) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'निर्वाचन' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional requirement towards 'Elections' under various heads	0.10	-	0.10
(ख) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'सामान्य शिक्षा' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the additional requirement towards 'General Education' under various heads	0.08	-	0.08
(ग) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'तकनीकी शिक्षा' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional requirement towards 'Technical Education' under various heads	0.06	-	0.06
(घ) (i) कोविड-19 के कारण (₹73.52 करोड़) (ii) जिला अस्पतालों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को चलाने के लिए (₹6.90 करोड़) और (iii) "आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमवाईएवाई)" (₹2.17 करोड़) का अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting the additional expenditure (i) on account of COVID-19 (₹ 73.52 crore) (ii) for running of Central Heating System in District Hospitals (₹ 6.90 crore) and (iii) creation of Sub-Head "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB PMYAY)" (₹ 2.17 crore).	82.59	-	82.59
(ङ) टैंकरों को किराए पर लेने के व्यय को पूरा करने के लिए 'जलापूर्ति और स्वच्छता के अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य प्रभार हेतु।	(e) For meeting the additional requirement towards Other Charges for 'Water Supply and Sanitation' to meet the expenditure on account of hiring of tankers.	2.00	-	2.00
(च) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'सूचना और प्रचार' की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting the additional requirement towards 'Information and Publicity' under various heads	0.02	-	0.02
(छ) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'अ.ज.जा., अ.जा., अ.प.वर्ग और अल्पसंख्यकों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(g) For meeting the additional requirement towards 'Welfare of SCs, STs, OBCs and Minorities' under various heads.	0.11	-	0.11
(ज) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास' हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(h) For meeting the additional requirement towards Grants-in-aid General for 'Labour, Employment and Skill Development' under various heads.	1.50	-	1.50
(झ) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(i) For meeting the additional requirement for 'Social Security and Welfare' under various heads.	0.66	-	0.66
(ञ) आपदा अनुक्रिया निधि के लिए 'प्राकृतिक आपदा के कारण राहत' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(j) For meeting the additional requirement for 'Relief on account of Natural Calamities' for Disaster Response Fund.	5.00	-	5.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ट) पीओएल के अंतर्गत 'ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(k) For meeting the additional requirement for 'Special Programmes for Rural Development' under P.O.L.	1.50	-	1.50
55 लक्षद्वीप पंचायत निदेशालय के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करने की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	55 Lakshadweep For meeting the additional requirement for releasing Grants-in-aid General towards implementation of Solid Waste Management Programme under Directorate of Panchayat.	4.75	-	4.75
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
59 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क) (i) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत सामान्य पूल कार्यालय आवास (जीपीओए) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (₹460 करोड़) और (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत नई संसद संबंधी कार्यों की जारी परियोजना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)/केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) परियोजनाओं, मिन्टो रोड पर लेखन सामग्री तथा मुद्रण भवन के लिए अतिरिक्त व्यय (₹50 करोड़) पूरा करने के लिए। (ख) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	59 Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For meeting additional expenditure towards Major Works for (i) construction of various project under General Pool Office Accommodation (GPOA) (₹460 crore) and (ii) ongoing project of New Parliament works, Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBEC)/Central Board of Direct Taxes (CBDT) projects, stationery & Printing Building at Minto Road (₹50 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Major Works for various projects under General Pool Residential Accommodation (GPRA).	-	510.00	510.00
		-	100.00	100.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
67 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (क) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' के तहत सब्सिडियों (₹50 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना, (ii) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹25 करोड़) और (iii) 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना)' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए। (ख) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' के तहत सब्सिडियों (₹450 करोड़) (ii) 'अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹10 करोड़) (iii) 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना)' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़) और (iv) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹222.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹50 crore) under the scheme Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹25 crore) under the scheme Fund for Regeneration of Traditional industries (SFURTI) and (iii) Grants-in-aid General (₹1.50 crore) under the scheme ASPIRE (Promotion of innovation, Rural Industry and Entrepreneurship). (b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹450 crore) under the scheme Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) (ii) Grants-in-aid General (₹3 crore) and Grants-in-aid Salary (₹10 crore) under the scheme Infrastructure Development and Capacity Building (iii) Grants-in-aid General (₹8 crore) under the scheme ASPIRE (Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship and (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹222.50 crore) under the scheme Fund for Regeneration of Traditional industries (SFURTI).	76.50	-	76.50
		693.50	-	693.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
69 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	69 Ministry of Minority Affairs			
अनुदान प्राप्तकर्ता का दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹3.50 crore) for National Commission for Minorities.	6.00	-	6.00
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान के नवीनीकरण के लिए खर्च को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting meeting expenditure towards renovation of office space at Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi.	11.04	-	11.04
(ख) स्वच्छता कार्यवाई योजना (₹1 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹9 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक सेवा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)-एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 (आई जीओटी 2.0) हेतु खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure for National Programme for Civil Services and Capacity Building (NPCSCB)-Integrated Government Online Training Programme 2.0 (IGOT 2.0) under Swachhta Action Plan (₹ 1 Crore) and Information Technology (₹ 9 Crore).	10.00	-	10.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन स्कीम (पीएमयूवाई) में सब्सिडी के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds towards Subsidies for LPG connection to poor Households, (PMUY).	1,600.00	-	1600.00
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
77 पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	77 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास (एसएमपीके) द्वारा हुगली नदी और हल्दिया चैनल के तलकर्षण और रखरखाव हेतु सब्सिडी के लिए।	For Subsidy for dredging and maintenance of River Hooghly and Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port Trust (SMPK).	101.62	-	101.62
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
84 रेल मंत्रालय	84 Ministry of Railways			
(i) भारतीय रेलवे में 50 स्थानों पर स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र के संस्थापन की लागत के लिए ₹107.50 करोड़ और; (ii) बाईस (22) रेलवे स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले फ्लोर पिट व्हील लेथ के तहत कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (सीएनसी) का लागत मूल्य ₹137.85 करोड़; और (iii) 36,407 मालडिब्बों में प्रत्येक पर ₹20,000 की दर से दोहरे पाइप ब्रेक प्रणाली के रिट्रोफिटमेंट के लिए ₹72.81 करोड़ की लागत को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) cost of installation of Automatic Coach Washing Plants at 50 locations across Indian Railways (₹107.50 crore) and (ii) cost of Computer Numerical Control (CNC) under floor pit wheel lathe to be installed at twenty two (22) railway locations (₹137.85 crore) and (iii) cost of ₹ 72.81 crore for retrofitment of twin pipe brake system @ ₹ 20,000 each in 36,407 wagons.	-	318.16	318.16
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	85 Ministry of Road Transport and Highways			
रोप वे के विकास के लिए 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Major Works for Development of Ropeways.	-	100.00	100.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
86 ग्रामीण विकास विभाग	86 Department of Rural Development			
(क) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना: (i) अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 'उन्नति' परियोजना (₹0.06 करोड़) के लिए क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता और (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख एवं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लंबित निधि अंतरण आदेश को स्वीकृत करना (₹65 करोड़)।	(a) For providing Grants for creation of Capital Assets for (i) "Capacity Building and Technical Support for project UNNATI (₹0.06 crore) to Andaman and Nicobar Island and (ii) to clear the pending Fund Transfer Orders in Union Territory of Ladakh and Union Territory of Andaman and Nicobar Island (₹65 crore) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.	65.06	-	65.06
(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर (विधानमंडल सहित) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने हेतु उन्नति परियोजना के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के लिए।	(b) For "Capacity Building and Technical Support for project UNNATI to release Grants for creation of capital assets to Jammu & Kashmir (with legislature) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.	1.35	-	1.35
87 भूमि संसाधन विभाग	87 Department of Land Resources			
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलसंभर विकास कार्यक्रम के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (बिना विधानमंडल) के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General to Union Territory of Ladakh (without Legislature) under the scheme Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Programme.	5.00	-	5.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
88 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Science and Technology			
नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन के लिए 'अनुसूचित जाति उप योजना' के लिए (₹20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹10 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants for creation of capital Assets under Scheduled Castes Sub Plan (₹20 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹10 crore) for Innovation, Technology Development and Deployment.	30.00	-	30.00
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
91 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	91 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
(क) 'कौशल विकास' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Development of Skills.	0.08	-	0.08
(ख) 'सचिवालय' योजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Secretariat.	-	56.00	56.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	92 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) (i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों तथा बालिकाओं की छात्रावास के	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets for Boys and Girls Hostel for OBCs under PM Young Achievers Scholarship			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹7 करोड़) (ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया (पीएम यशस्वी) पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम में उत्कृष्ट श्रेणी विद्यालयों (₹158.75 करोड़) और उत्कृष्ट श्रेणी कॉलेजों (₹288.65 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (iii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका, अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹3413.12 करोड़), अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (₹725 करोड़), ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) के अंतर्गत उत्कृष्ट श्रेणी विद्यालयों (₹20 करोड़) और श्रेणी उत्कृष्ट कॉलेजों (₹50 करोड़) और (iv) डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs (₹ 7 crore) (ii) Grants in aid General under Top Class Schools (₹ 158.75 crore) and Top Class Colleges (₹288.65 crore) in the Scheme PM YASASVI for OBCs, EBCs and DNTs (iii) Scholarship/Stipend under Post Matric Scholarship for SC Students (₹ 3413.12 crore), Pre Matric Scholarship for SCs and Others (₹ 725 crore), Top Class Schools (₹ 20 crore) and Top Class Colleges (₹ 50 crore) in the PM YASASVI for OBCs, EBCs and DNTs and (iv) Grants-in-aid Salaries under Dr. Ambedkar International Centre (₹ 2.50 crore).	4,665.02	-	4665.02
(ख) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों और बालिकाओं को छात्रावास के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Boys and Girls Hostel for OBCs in the Scheme PM YASASVI for Vibrant India for OBCs EBCs and DNTs.	12.00	-	12.00
(ग) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों व बालिकाओं को छात्रावास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Boys and Girls Hostel for OBCs in the Scheme PM YASASVI for Vibrant India OBCs EBCs and DNTs.	1.00	-	1.00
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE		
94 अंतरिक्ष विभाग	94 Department of Space			
(क) इनसेट/जीसेट ट्रांसपॉन्डर्स को पट्टे पर देने के लिए सेवा प्रभार हेतु अन्य संविदात्मक सेवाओं का व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Other Contractual services for Service Charges for Leasing INSAT/GSAT Transponders.	40.00	-	40.00
(ख) प्रौद्योगिकी प्रतिदर्श अंतरिक्षयान के लिए अन्य पूंजीगत व्यय हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Other Capital Expenditure for Technology Demonstration Spacecraft.	-	50.00	50.00
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES		
97 वस्त्र मंत्रालय	97 Ministry of Textiles			
(क) (i) 'अन्य हथकरघा योजना' स्कीम के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹3 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए, (ii) 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए और (iii) 'व्यापक पावरलूम क्लस्टर विकास कार्यक्रम-पावरलूम मेगा क्लस्टर' स्कीम	(a) For meeting expenditure towards 1 Grants-in-aid Salary (₹3 crore) under the scheme Other Handloom Schemes 2 Grants-in-aid General under the schemes (i) Integrated Wool Development Programme (₹1 crore) and (iii) Comprehensive Powerloom			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	Cluster Development Program - Powerloom Mega Cluster (₹1 crore).	5.00	-	5.00
(ख) 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Technical Textiles Mission.	35.00	-	35.00
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय	100 Ministry of Women and Child Development			
(क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR).	1.26	-	1.26
(ख) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR).	0.10	-	0.10
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा मामले और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports			
युवा छात्रावास के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Minor Works under the scheme Youth Hostel.	-	2.00	2.00
कुल सांकेतिक	Total Token	0.59	0.13	0.72
5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की समेकित निधि में से ₹3595,95,00,000 की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति निधि में की जाएगी।		5. An advance of ₹3595,95,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting contingency requirement. This will be recouped to the fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.		
कुल योग	GRAND TOTAL	22,217.71	1,64,984.70	1,87,202.41
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	21,038.15	2,636.66	23,674.81
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,178.97	1,62,347.91	1,63,526.88
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.59	0.13	0.72

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	...	600.00	600.00	1
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	...	0.02	2
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS					
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilizers	Voted	0.01	...	0.01	3
7. भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	1083.21	139.00	1222.21	4
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	178.24	1872.00	2050.24	5
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	0.01	...	0.01	6
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	भारित	10. Department of Commerce	Charged	0.50	...	0.50	7-8
	स्वीकृत		Voted	0.04	0.01	0.05	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	15. Department of Food and Public Distribution	Voted	1100.00	...	1100.00	9
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
17. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Culture	Voted	0.01	0.01	0.02	10
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
18. रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित	18. Ministry of Defence (Civil)	Charged	1.52	...	1.52	11
20. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परियोजना	स्वीकृत	20. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01	12
शिक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF EDUCATION					
24. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	24. Department of School Education and Literacy	Voted	0.04	...	0.04	13
25. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	25. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	14
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.01	...	0.01	15

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
28. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs	Voted	370.00	...	370.00	16
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	0.01	2641.67	2641.68	17
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	31. Department of Financial Services	Voted	1750.00	...	1750.00	18
34. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34. Direct Taxes	Voted	...	0.01	0.01	19
35. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Indirect Taxes	Voted	0.02	...	0.02	20
40. राज्यों को अंतरण	भारित	40. Transfers to States	Charged	0.01	...	0.01	21
	स्वीकृत		Voted	...	158999.99	158999.99	
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING					
42. पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	स्वीकृत	42. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	0.03	...	0.03	22
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
43. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	43. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	23
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
44. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	44. Department of Health and Family Welfare	Voted	15917.89	545.66	16463.55	24-26
45. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	45. Department of Health Research	Voted	526.28	...	526.28	27
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
46. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	46. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	110.05	110.06	28
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
50. पुलिस	स्वीकृत	50. Police	Voted	0.02	0.01	0.03	29
54. लद्दाख	स्वीकृत	54. Ladakh	Voted	0.11	...	0.11	30-31
55. लक्षद्वीप	स्वीकृत	55. Lakshadweep	Voted	0.01	...	0.01	32
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
59. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	...	0.02	0.02	33
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
61. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत	61. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	50.00	...	50.00	34
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64. विधि और न्याय	स्वीकृत	64. Law and Justice	Voted	23.25	0.00	23.25	35
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	36
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
69. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	37

			(₹ करोड़ in ₹ crore)				
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
73. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.02	...	0.02	38
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
75. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	0.01	...	0.01	39
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS						
77. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	77. Ministry of Ports,Shipping and Waterways	Voted	0.01	...	0.01	40
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS						
84. रेल मंत्रालय	स्वीकृत	84. Ministry of Railways	Voted	...	0.01	0.01	41
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
85. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	85. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	...	0.01	0.01	42
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
86. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	86. Department of Rural Development	Voted	0.02	...	0.02	43
87. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	87. Department of Land Resources	Voted	0.01	...	0.01	44
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY						
88. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	88. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	45
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP						
91. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.01	10.01	10.02	46
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT						
92. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	92. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.03	...	0.03	47
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE						
94. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	94. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	48
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION						
95. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	1172.50	...	1172.50	49
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES						
97. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Textiles	Voted	0.02	66.21	66.23	50
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT						
100. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	51

				(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
101. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	43.72	0.01	43.73	52
कुल जोड़		GRAND TOTAL		22217.71	164984.70	187202.41	
	भारित		Charged	2.03	0.00	2.03	
	स्वीकृत		Voted	22215.68	164984.70	187200.38	
अनुबंध		ANNEXURE					53

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	16391.20	16392.20
पूँजी	Capital	...	11403.20	11403.20
जोड़	Total	1.00	27794.40	27795.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	600.00	600.00
जोड़	Total	...	600.00	600.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	28394.40	28395.40
राजस्व	Revenue	1.00	16391.20	16392.20
पूँजी	Capital	...	12003.20	12003.20
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	520.00	(का) 520.00
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	80.00	(खब) 80.00
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	600.00	600.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) परियोजना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 520 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) भाविनी द्वारा एसबीआई को ऋण का भुगतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 80 करोड़ के अग्रिम अनुदान की प्रतिपूर्ति करने के लिए (₹ 480 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 80 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) Project (₹ 520 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India of ₹ 80 crore for making payment of loan to SBI taken by BHAVINI (₹ 480 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 80 crores.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2970.30	2970.30
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2970.30	2970.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2970.32	2970.32
राजस्व	Revenue	...	2970.32	2970.32
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: (i) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (स्वच्छता कार्य योजना) (₹ 0.01 करोड़) (ii) चिकित्सकीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 42.05 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (₹ 0.88 करोड़) को शुरू करना (iii) राष्ट्रीय भारतीय औषध प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) नामक नवगठित सांविधिक निकाय के संबंध में प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.80 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.17 करोड़) को शुरू करने के लिए। (iv) नई स्कीम आयुर्ज्ञान और उसकी उप-स्कीमों नामतः (I) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षण और उसके प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.56 करोड़) और अन्य प्रभारों (₹ 0.25 करोड़) के अंतर्गत नए शीर्षों को शुरू करने के लिए (II) केंद्रीय क्षेत्र की विद्यमान स्कीमों नामतः आयुष कार्मिकों का पुनर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई) और अनुसंधान संस्थानों (निजी/अर्द्ध सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों) के माध्यम से संस्थान की चहारदीवारी से बाहर अनुसंधान परियोजनाओं आदि को एक साथ मिलाकर आयुष और उसके प्रयोजन शीर्षों यथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.03 करोड़) और अन्य प्रभारों (₹ 0.02 करोड़) में अनुसंधान और नवाचार (v) आयुर्विज्ञान योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 17.82 करोड़), अन्य प्रभारों (₹ 0.09 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹ 0.06 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (vi) केंद्रीय क्षेत्र की विद्यमान स्कीमों नामतः एसयू औषधियों हेतु औषध सतर्कता पहल और आयुष हेतु केंद्रीय दवा नियंत्रक को एक साथ जोड़कर नई स्कीम आयुष औषधी गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.20 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.10 करोड़), अन्य प्रभारों (₹ 0.10 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹ 0.20 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.03 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) For meeting expenditure under (i) Grant in Aid General (Swachhta Action Plan) (₹ 0.01 crore) in respect of National Institute of Sowa Rigpa (NISR) . (ii) For expenditure under Grant-in-Aid-General (₹ 42.05 crore) and Grant-in-Aid-General (SCSP) (₹ 0.88 crore) under Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants. (iii) For expenditure under Grant-in-Aid General (₹ 7.80 crore), Grant-in-Aid Salary (₹ 3.17 crore) in respect of the newly constituted Statutory Body namely National Commission for Indian System of Medicine (NCISM). (iv) For expenditure under AYURGYAN (I) Capacity Building & Continuing Medical Education in AYUSH and its object heads viz. GIA General (₹ 5.56 crore) and Other Charges (₹ 0.25 crore), (II) Research and innovation in AYUSH and its object heads viz. Grant-in-Aid General (₹ 8.03 crore) and Other Charges (₹ 0.02 crore) by merging existing central sector schemes namely Re-orientation Training Programme of AYUSH personnel/continuing Medical Education (ROTP/CME) and Extra Mural Research Projects through Research Institute (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO), etc. (v) For expenditure under Grant-in-Aid General (₹ 17.82 crore), Other Charges (₹ 0.09 crore) and Professional Services (₹ 0.06 crore) under AYURSWASTHYA Yojana (vi) For expenditure under Grant-in-Aid General (₹ 5.20 crore), Grant for creation of capital assets (₹ 0.10 crore), Other Charges (₹ 0.10 crore) and Professional Services (₹ 0.20 crore) under AYUSH Oushadhi Gunvatta evum Uttapadan Samvardhan Yojana (AOGUSY) by merging existing central sector schemes namely Pharmacovigilance initiatives for ASU drugs and Central Drug Controller for AYUSH.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant -in-Aid General under National Institute of Sowa Rigpa (₹ 0.03 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	83596.77	83596.77
पूँजी	Capital	...	444.62	444.62
जोड़	Total	...	84041.39	84041.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	84041.40	84041.40
राजस्व	Revenue	...	83596.78	83596.78
पूँजी	Capital	...	444.62	444.62
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100.00 करोड़) के तहत ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु और (ii) अनुसंधान तथा विकास के लिए (₹ 0.10 करोड़) व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) meeting expenditure for Brahmaputra Valley Fertilisers and Chemicals Ltd. (BVFCL) under Grant-in-aid (₹ 100.00 Crore) and (ii) meeting expenditure towards Research & Development (₹ 0.10 Crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	461.29	461.29
पूँजी	Capital	...	9.12	9.12
जोड़	Total	...	470.41	470.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1083.21	1083.21
पूँजी	Capital	...	139.00	139.00
जोड़	Total	...	1222.21	1222.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1692.62	1692.62
राजस्व	Revenue	...	1544.50	1544.50
पूँजी	Capital	...	148.12	148.12
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	1083.21	(का) 1083.21
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	...	139.00	(खब) 139.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1222.21	1222.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i) आईडीपीएल संयंत्र स्थल-I में से 50 एकड़ भूमि के अंतरण के एवज में राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (एनआईपीआईआर), हैदराबाद को इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के भारत सरकार के ऋण की माफी (₹ 889.50 करोड़) और (ii) ₹ 345.24 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर 20.55 एकड़ भूमि के अंतरण के एवज में राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (एनआईपीआईआर), कोलकाता को बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के भारत सरकार के ऋण (₹ 107.49 करोड़) और प्रोद्भूत ब्याज (₹ 86.22 करोड़) की माफी।	(a)	Waiver of Government of India Loan of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL) (₹ 889.50 crore) against transfer of 50 acres of land out of IDPL Plant Site-I, Hyderabad to National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Hyderabad and (ii) Waiver of Gov Loan (₹ 107.49 crore) and accrued interest (₹ 86.22 crore) of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL) against transfer of 20.55 acres of land at reserve price of ₹ 345.24 crore to National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Kolkata.
	₹ 1083.21 करोड़ की अनुरूपी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account matching receipts of ₹ 1083.21 crore, this will not entail cash outgo.
(ख)	(i) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) (₹ 118 करोड़) और (ii) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) (₹ 21 करोड़) के कर्मचारियों की लंबित देयताओं को ऋण के रूप में चुकाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(b)	additional expenditure to clear pending employee dues of (i) Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL) (₹ 118 crore) and (ii) Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (RDPL) (₹ 21 crore) as loan. The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारत Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3184.15	3184.15
पूंजी	Capital	...	40.52	40.52
जोड़	Total	...	3224.67	3224.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	178.24	178.24
पूंजी	Capital	...	1872.00	1872.00
जोड़	Total	...	2050.24	2050.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5274.91	5274.91
राजस्व	Revenue	...	3362.39	3362.39
पूंजी	Capital	...	1912.52	1912.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	178.24 (का)	178.24
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7053-नागर विमानन के लिए ऋण	7053-Loans for Civil Aviation	...	1872.00 (खब)	1872.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2050.24	2050.24
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: (क) (i) एयर इंडिया- जीएसटी शामिल करने के कारण संशोधित भुगतान के लिए विशेष अतिरिक्त खंड उड़ान हेतु नए विमान की खरीद के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 178.24 करोड़)। (ii) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 178.24 करोड़ का नकद व्यय होगा।				
The supplementary Grants are required for: (a) (i) Grants-in-aid for Creation of Capital Assets under Purchase of New Aircraft for Special Extra Section Flight(SESF) (₹ 178.24 crore). (ii) Grants-in-aid General under National Aviation University to meet the additional expenditure (₹ 1.50 crore) . Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a net cash outgo of ₹ 178.24 crore.				
(ख) भारत की आकस्मिकता निधि से लिए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए एयर इंडिया लिमिटेड को ऋण और अग्रिम (₹ 1872 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	(b) Loans & Advances to Air India Ltd. for recoupment of advance from Contingency Fund of India (₹ 1872 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.			

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	534.88	534.88
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	534.88	534.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	534.89	534.89
राजस्व	Revenue	...	534.89	534.89
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) 'कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा' उप स्कीम के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत सब्सिडियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2.72 करोड़) (ii) 'कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास (डीटीआईसी)' उप स्कीम के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत (₹ 22 करोड़) और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत (₹ 25.17 करोड़) सब्सिडियों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Meeting expenditure on 'subsidies' under Special Component Plan for Scheduled Castes of sub-scheme 'Conservation Safety in Coal Mines' (₹ 2.72 crore). (ii) Meeting expenditure on 'subsidies' under Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 22 crore) and under Tribal Area Sub-Plan (₹ 25.17 crore) of sub-scheme 'Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas (DTIC).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4699.01	4699.01
पूँजी	Capital	...	287.00	287.00
जोड़	Total	...	4986.01	4986.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.50	0.04	0.54
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	0.50	0.05	0.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	4986.06	4986.56
राजस्व	Revenue	0.50	4699.05	4699.55
पूँजी	Capital	...	287.01	287.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	0.50	(क) 0.01	(ख) 0.51
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	0.01	(ग) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(घ) 0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	0.01	(ङ) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.50	0.04	0.54
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	...	0.01	(च) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.50	0.05	0.55

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants/Appropriations are required for:	
(क)	'सचिवालय' योजना के अंतर्गत अन्य प्रभारों (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	Meeting expenditure towards Other Charges (₹ 0.50 crore) under 'Secretariat'. Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	'सचिवालय' के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 76.79 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Meeting expenditure towards Professional Services (₹ 76.79 crore) under 'Secretariat'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) 'चाय बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 213.77 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ii) 'काफी बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.79 करोड़) सब्सिडी (₹ 10.00 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (iii) 'रबर बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 60.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए और (iv) 'मसाला बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.65 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.85 करोड़) और सब्सिडी (₹ 11.81 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 213.77 crore) and Grants in Aid Salary (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) Meeting expenditure towards Grants in Aid Salary (₹ 10.79 crore), Subsidies (₹ 10.00 crore) and Grants in Aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iii) Meeting expenditure towards Grants in Aid Salary (₹ 60.00 crore) under the scheme 'Rubber Board' and (iv) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 3.65 crore), Grants in Aid Salary (₹ 0.85 crore) and Subsidies (₹ 11.81 crore) under the scheme 'Spices Board'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) 'चाय बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 229.72 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (ii) 'मसाला बोर्ड' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 3.69 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 229.72 crore) under the scheme 'Tea Board' and (ii) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 3.69 crore) under the scheme 'Spices Board'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(इ)	'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद हेतु परिवहन और विपणन सहायता' (टीएमए) योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 500.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए और (ii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(e)	(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 500.00 crore) under the scheme 'Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme for specified agriculture products', and (ii) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 0.01 crore) under the scheme 'Centre For Research on International Trade-CRIT'.
(च)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि. (एमएमटीसी) योजना के अंतर्गत ऋण और अग्रिम (₹ 80.00 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(f)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Meeting expenditure towards Loans and Advances (₹ 80.00 crore) under the scheme 'Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC)'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	251248.34	251248.34
पूँजी	Capital	...	52725.96	52725.96
जोड़	Total	...	303974.30	303974.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1100.00	1100.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	1100.00	1100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	305074.30	305074.30
राजस्व	Revenue	...	252348.34	252348.34
पूँजी	Capital	...	52725.96	52725.96
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	1100.00	1100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2019-20 सत्र के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने हेतु
(₹ 1100 करोड़)।
इसमें ₹ 1100 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

providing assistance to Sugar Mills for 2019-20 season
(₹ 1100 crore).
The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 1100 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2609.23	2609.23
पूँजी	Capital	...	78.76	78.76
जोड़	Total	...	2687.99	2687.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2688.01	2688.01
राजस्व	Revenue	...	2609.24	2609.24
पूँजी	Capital	...	78.77	78.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 1. सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) कला संस्कृति विकास योजना - (₹ 4 करोड़), (ii) अकादमियों को सहायता - (₹ 3 करोड़), (iii) पुस्तकालयों को सहायता (₹ 55.23 करोड़), संग्रहालयों को सहायता (₹ 16.62 करोड़) (iv) बीटीआई और स्मारक - (₹ 0.20 करोड़) और (v) अनुदानग्राही निकाय (₹ 0.40 करोड़) 2. निम्नलिखित हेतु पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान अपेक्षित है: (i) अकादमियों को सहायता - (₹ 2.50 करोड़), (ii) पुस्तकालयों को सहायता (₹ 5.06 करोड़) और (iii) संग्रहालयों को सहायता (₹ 13.71 करोड़) 3. संग्रहालयों को सहायता हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 6.50 करोड़) 4. निम्नलिखित हेतु व्यावसायिक सेवाएं : (i) स्कीम - "प्रोजेक्ट मौसम" के लिए वैश्विक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹ 0.25 करोड़) और 5. स्कीम "प्रोजेक्ट मौसम" हेतु वैश्विक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹ 3.25 करोड़) के लिए अन्य प्रभार।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) पुस्तकालय और अभिलेखागार (₹ 10.26 करोड़) से संबंधित प्रमुख निर्माण कार्यों के तहत व्यय को पूरा करने हेतु।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) 1. For meeting expenditure under Grants-in-aid General for (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 4 crore), (ii) Support to Akademies (₹ 3 crore), (iii) Support to Libraries (₹ 55.23 crore) Support to Museums (Rs 16.62 crore) (iv) BTI & Memorials (Rs 0.20 crore) and (v) Grantee Bodies (₹ 0.40 crore), 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Support to Akademies- (₹ 2.50 crore), (ii) Support to Libraries (₹ 5.06 crore) and (iii) Support to Museums (₹ 13.71 crore), 3. Grants in aid Salaries for Support to Museums (₹ 6.50 crore), 4. Professional Services for (i) Global Engagement and International Cooperation (₹ 0.25 crore) for Scheme "Project Mausam", and 5. Other Charges for Global Engagement and International Cooperation (₹ 3.25 crore) for "Project Mausam".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For meeting expenditure under Major Works pertaining to Library and Archives (₹ 10.26 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 देखिये)

(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.70	30088.23	30088.93
पूँजी	Capital	50.00	7698.41	7748.41
जोड़	Total	50.70	37786.64	37837.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.52	...	1.52
पूँजी	Capital
जोड़	Total	1.52	...	1.52
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	52.22	37786.64	37838.86
राजस्व	Revenue	2.22	30088.23	30090.45
पूँजी	Capital	50.00	7698.41	7748.41
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	1.52	...	1.52

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कैंटीन स्टोर विभाग के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न ₹ 1.52 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1.52 crore arising out of court decrees for Canteen Stores Department. Considering the savings available in voted section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	81.87	134978.85	135060.72
जोड़	Total	81.87	134978.85	135060.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	81.87	134978.86	135060.73
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	81.87	134978.86	135060.73
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सेना के तहत 'मिलिट्री फार्म' के लिए अतिरिक्त देयता के कारण ₹ 0.03 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 0.01 करोड़ का सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure of ₹ 0.03 crore on account of additional liability for 'Military Farms' under Army.

Taking into account the savings available within the same section of the grant a token supplementary of ₹ 0.01 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	103673.66	103673.66
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	103673.66	103673.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	103673.70	103673.70
राजस्व	Revenue	...	103673.70	103673.70
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for:				
(क) (i) समग्र शिक्षा (₹ 19.40 करोड़), एग्जेंप्लर (₹ 2.66 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹ 7.84 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(a) (i) Grants-in-Aid General under Samagra Shiksha (₹ 19.40 crore), Exemplar (₹ 2.66 crore), New India Literacy Programme (₹ 7.84 crore)			
(ii) समग्र शिक्षा (₹ 15.07 करोड़), एग्जेंप्लर (₹ 21.77 करोड़) के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets under Samagra Shiksha (₹ 15.07 crore), Exemplar (₹ 21.77 crore)			
(iii) समग्र शिक्षा (₹ 140 करोड़), एग्जेंप्लर (₹ 26 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹ 15 करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं।	(iii) Professional Services under Samagra Shiksha (₹ 140 crore), Exemplar (₹ 26 crore), New India Literacy Programme (₹ 15 crore)			
(iv) एग्जेंप्लर (₹ 4 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹ 0.25 करोड़) के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(iv) Advertising and Publicity under Exemplar (₹ 4 crore), New India Literacy Programme (₹ 0.25 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(ख) (i) एग्जेंप्लर (₹ 60 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹ 17.48 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(b) (i) Grants-in-Aid General under Exemplar (₹ 60 crore), New India Literacy Programme (₹ 17.48 crore)			
(ii) एग्जेंप्लर के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets under Exemplar (₹ 40 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(ग) (i) एग्जेंप्लर (₹ 521.29 करोड़), नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹ 110.93 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(c) (i) Grants-in-Aid General under Exemplar (₹ 521.29 crore), New India Literacy Programme (₹ 110.93 crore)			
(ii) एग्जेंप्लर के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 347.54 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets under Exemplar (₹ 347.54 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			
(घ) (i) (1) एग्जेंप्लर (₹ 16.04 करोड़) (2) नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (₹ 3.76 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(d) (i) Grants-in-Aid General under (1) Exemplar (₹ 16.04 crore), (2) New India Literacy Programme (₹ 3.76 crore)			
(ii) एग्जेंप्लर के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10.70 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets under Exemplar (₹ 10.70 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.			

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	65325.15	65325.15
पूँजी	Capital	...	25.50	25.50
जोड़	Total	...	65350.65	65350.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	65350.68	65350.68
राजस्व	Revenue	...	65325.18	65325.18
पूँजी	Capital	...	25.50	25.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान- मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹ 4.64 करोड़), केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 109.08 करोड़) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान- विश्वस्तरीय संस्थाएं (₹ 126 करोड़), वैश्विक अनुबंध संबंधी पहल (₹ 9 करोड़), केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 5 करोड़), आयुर्विज्ञान संस्थान (बीएचयू) (₹ 16 करोड़), मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹ 1.6 करोड़), शिक्षक और शिक्षण (पीएमएमएमएमएमटीटी) पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (₹ 34.20 करोड़) को अनुदान, (iii) मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पहल (₹ 0.46 करोड़) हेतु वेतन सहायता अनुदान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 187.92 करोड़) और (iv) 'व्यावसायिक सेवाएं': आभासी कक्षाएं और बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) की स्थापना (₹ 15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.18 करोड़) और (ii) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹ 7.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (i) शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएमएमटीटी) के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.80 करोड़) (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 19 करोड़), एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 15 करोड़) और (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid General under the following schemes:- National Initiative for Excellence in humanities and social sciences [₹ 4.64 crore], Grants to Central Universities [₹ 109.08 crore] (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes: World Class Institutions [₹ 126 crore], Initiatives for global engagement [₹ 9 crore], Grants to Central Universities [₹ 5 crore], Grants to Institute of Medical Sciences (BHU) [₹ 16 crore], National Initiative for Excellence in humanities and social sciences [₹ 1.6 crore], Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT) [₹ 34.20 crore] (iii) Grants-in-aid Salaries for National Initiative for Excellence in humanities and social sciences [₹ 0.46 crore], Grants to Central Universities [₹ 187.92 crore] and (iv) 'Professional Services' for Setting up virtual classrooms and massive open online courses (MOOCs) [₹ 15 crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid General under Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 7.18 crore] and (ii) 'Professional Services' under Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 7.50 crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) Grants for creation of capital assets under Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT) [₹ 3.80 crore] (ii) Grants-in-aid Salaries under Grants to Central Universities [₹ 19 crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 15 crore] and (iii) Grants-in-aid General under Grants to Central Universities [₹ 8.50 crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3014.10	3014.10
पूँजी	Capital	...	122.48	122.48
जोड़	Total	...	3136.58	3136.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3136.59	3136.59
राजस्व	Revenue	...	3014.11	3014.11
पूँजी	Capital	...	122.48	122.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 11.10 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.40 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants for creation of Capital Assets for National Biodiversity Authority (₹ 11.10 crore) and (ii) Grants-in-aid-General for Swachhta Action Plan (₹ 6.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

2061-विदेशी मामले

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2061-External Affairs

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुसंधान एवं नवोन्मेष के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 370 करोड़)

इसमें नकद व्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure under Research and Innovation
(₹ 370 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4649.12	4649.12
पूँजी	Capital	...	94900.41	94900.41
जोड़	Total	...	99549.53	99549.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	2641.67	2641.67
जोड़	Total	...	2641.68	2641.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	102191.21	102191.21
राजस्व	Revenue	...	4649.13	4649.13
पूँजी	Capital	...	97542.08	97542.08
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	2641.67 (खब)	2641.67
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2641.68	2641.68
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	नए विकास बैंक के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को दो वर्षों के लिए निःशुल्क सुसज्जित कार्यालय और कार्यालय सुविधा प्रदान करने के लिए (₹ 0.53 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Providing of furnished office accommodation and office facilities at free of cost for two years to Indian Regional Office of New Development Bank (₹ 0.53 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से मूल्यों के रखरखाव (एमओवी)- आईएमएफ बाध्यता हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2641.67 करोड़)। अनुरूपी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV)- IMF Obligation (₹ 2641.67 crore) through issue of Securities. Taking into account the matching receipts, the above expenditure will not entail any cash outgo.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

3465-General Financial and Trading Institutions

...	1750.00	1750.00
-----	---------	---------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ऋण अधिस्थगन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के तहत उधारकर्ता के संबंध में उधार देने वाली संस्थाओं को चक्रवृद्धि ब्याज सहायता (₹ 1750.00 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Compounded interest support to lending institutions (₹ 1750.00 crore) in respect of borrowers under compounded interest support scheme for loan moratorium.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8180.34	8180.34
पूँजी	Capital	...	352.00	352.00
जोड़	Total	...	8532.34	8532.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8532.35	8532.35
राजस्व	Revenue	...	8180.34	8180.34
पूँजी	Capital	...	352.01	352.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ई-ब्लॉक, बीकेसी, मुम्बई के आयकर कार्यालय भवन के विकास और पुनर्निर्माण के लिए निर्माण पूर्व कार्यकलाप हेतु ₹ 5.61 करोड़ की समर्थ लागत को पूरा करने के लिए ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting the enabling cost of ₹ 5.61 crore for preconstruction activities for the development and reconstruction of Income Tax office building of E Block, BKC, Mumbai

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	20906.77	20907.27
पूँजी	Capital	...	452.00	452.00
जोड़	Total	0.50	21358.77	21359.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	21358.79	21359.29
राजस्व	Revenue	0.50	20906.79	20907.29
पूँजी	Capital	...	452.00	452.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों (आरओडीटीईपी) की छूट के प्रावधान को बढ़ाने/राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क (आरओएससीटीएल) योजना में छूट और भारत से निर्यात सेवा योजना (एसईआईएस)/भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात योजना (एमईआईएस)/आरओएससीटीएल/विविध अन्य योजनाओं के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए। सांकेतिक राशि प्रस्तावित है।

यह व्यय तदनुसूची प्राप्ति के अनुरूप है। अतः इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

augmenting the provision of Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP)/Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) scheme and to pay off the arrears for Service Exports from India Scheme (SEIS)/Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) /RoSCTL/Miscellaneous other schemes. A token amount is proposed.

The expenditure is matched with the corresponding receipts, hence, there will be no additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	220843.00	71490.77	292333.77
पूँजी	Capital	46850.00	10000.01	56850.01
जोड़	Total	267693.00	81490.78	349183.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	...	0.01
पूँजी	Capital	...	158999.99	158999.99
जोड़	Total	0.01	158999.99	159000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	267693.01	240490.77	508183.78
राजस्व	Revenue	220843.01	71490.77	292333.78
पूँजी	Capital	46850.00	169000.00	215850.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01 (का)	...	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	...	158999.99 (खब)	158999.99
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	158999.99	159000.00

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) में से राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4436.80 करोड़) जारी करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एसडीएमएफ के लिए नया लेखाशीर्ष खोलने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी (₹ 158999.99 करोड़) के एवज में राज्यों को बैंक दू बैंक ऋण के अंतर्गत विशेष विंडो के तहत ऋण जारी करने के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए। चूंकि बैंक दू बैंक ऋण की पूर्ति समतुल्य पूँजी प्राप्तियों से की जानी है, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) opening of new Head of Account for State Disaster Mitigation Fund (SDMF) in accordance with Fifteenth Finance Commission recommendations to release Grants-in-aid General (₹ 4436.80 crore) to State Governments from SDMF. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing loans to State Governments through issue of debt under special window under Back to Back Loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall (₹ 158999.99 crore). As the Back to Back Loan are to be met from equivalent capital receipts, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42

पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3555.59	3555.59
पूँजी	Capital	...	44.39	44.39
जोड़	Total	...	3599.98	3599.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3600.01	3600.01
राजस्व	Revenue	...	3555.62	3555.62
पूँजी	Capital	...	44.39	44.39
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	(का) 0.01
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	...	0.01	(खब) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(गक) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 31 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Grants-in-Aid General (₹ 31 crore) under the scheme Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	जापान इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी समितियों से राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत डेयरी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 56.10 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) (₹ 12.45 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) (₹ 6.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Grant-in-Aid-General under General components (₹ 56.10 crore), Scheduled Caste Sub Plan(SCSP) (₹ 12.45 crore) and Tribal Area Sub Plan (TASP)(₹ 6.45 crore) for Dairying through Cooperatives assisted by Japan Investment Corporation Agency(JICA) under the scheme Rashtriya Pashudhan Vikas Yojana. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना के तहत सामान्य घटकों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) (₹ 2 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Grants-in-Aid General under General components (₹ 4 crore), Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 2 crore) and Tribal Area Sub Plan(TASP) (₹ 1 crore) under the scheme National Livestock Mission. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1308.66	1308.66
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	1308.66	1308.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1308.67	1308.67
राजस्व	Revenue	...	1308.67	1308.67
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) के लिए कार्यालय व्यय (₹ 0.50 करोड़); अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 9 करोड़)।
- (II) "ऑपरेशन ग्रीन्स" योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से परिवहन के लिए लाभार्थियों को परिवहन सब्सिडी के लिए भारतीय रेलवे को सब्सिडी (₹ 52 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (I) Office Expenses (₹ 0.50 crore), Other Administrative Expenses (₹ 0.50 crore) and Professional Services (₹ 9 crore) for Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLIS).
- (II) Subsidies (₹ 52 crore) to Indian Railways towards transport subsidies to beneficiaries for transportation through Kisan Rail under scheme "Operation Greens".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	114771.54	114771.54
पूँजी	Capital	...	4355.61	4355.61
जोड़	Total	...	119127.15	119127.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	15917.89	15917.89
पूँजी	Capital	...	545.66	545.66
जोड़	Total	...	16463.55	16463.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	135590.70	135590.70
राजस्व	Revenue	...	130689.43	130689.43
पूँजी	Capital	...	4901.27	4901.27
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	3650.37	3650.37 (का)
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01	0.01 (खब)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	60.36	60.36 (गc)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	10727.50	10727.50 (घd)
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	1479.65	1479.65 (डेe)
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	15917.89	15917.89
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	545.66	545.66 (चf)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	16463.55	16463.55

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (I) निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता: 1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्यवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 1.78 करोड़) तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 0.80 करोड़) 2. राष्ट्रीय कोविड-19 आपातकालीन कार्यवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-II (जीबीएस)- टेलिमेडिसिन (₹ 76.90 करोड़), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 65 करोड़), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 20 करोड़), चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 10 करोड़), जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (₹ 12.67 करोड़) 3. लाला राम स्वरूप क्षय एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 6.31 करोड़) स्वच्छता कार्यवाई योजना (₹ 0.81 करोड़) सहित 4. परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 41.18 करोड़) (II) पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान 1. परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 380 करोड़) 2. लाला राम स्वरूप क्षय एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2 करोड़) 3. जवाहर लाल परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (₹ 50 करोड़) (III) निम्नलिखित संस्थाओं को अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए वेतन सहायता अनुदान 1. कोविड-19 आपातकालीन कार्यवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज-II (जीबीएस) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 135 करोड़), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 10 करोड़), परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 5 करोड़), जवाहर लाल परास्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (₹ 6.33 करोड़) 2. लाला राम स्वरूप क्षय एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 13.50 करोड़) (IV) अतिरिक्त

The supplementary Grants are required for:

(a) (I) Grants in aid General in 1. National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package (EAP) (₹ 1.78 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) and National Centre for Disease Control (NCDC) (₹ 0.80 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) . 2. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II (GBS) - Telemedicine (₹ 76.90 crore), Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 65 crore), All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 20 crore), Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 10 crore), Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (₹ 12.67 crore). 3. Lala Ram Swarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 6.31 crore) inclusive of Swachhta Action Plan (₹ 0.81 crore) 4. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 41.18 crore) (II) Grants for creation of Capital Assets in 1 Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 380 crore) 2. Lala Ram Swarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 2 crore) 3. Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (₹ 50 crore). (III) Grants in aid Salaries for meeting additional requirement under the following Institutions: - 1. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness

आवश्यकता को पूरा करने हेतु 1. भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज I-II (जीबीएस)/(ईएपी) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:- बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र (₹ 123.25 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री की अधिप्राप्ति (जीबीएस) (₹ 1881.40 करोड़) और (ईएपी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 118.78 करोड़), केंद्रीय अस्पताल (₹ 331.44 करोड़): (i) सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 47.20 करोड़) - वेतन (₹ 7.10 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 12.30 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 2.10 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 25.70 करोड़). ii डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 63.89 करोड़) - कार्यालय व्यय (₹ 12.89 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 17 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 34 करोड़). iii. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 44.20 करोड़) - वेतन (₹ 12.91 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 8 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 12 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 11.29 करोड़) iv. हवाई अड्डा संगठनों सहित बंदरगाह स्वास्थ्य संस्थान- अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की निगरानी (₹ 26.50 करोड़) - आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 23.56 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 2.90 करोड़). v. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं अनुक्रिया (₹ 145.75 करोड़) - आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 136.25 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 9.50 करोड़) vi. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) (₹ 3.90 करोड़) - कार्यालय व्यय (₹ 3 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.90 करोड़), एवं (ईएपी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 116.70 करोड़) - कार्यालय व्यय (₹ 21.95 करोड़), आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 75 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 19.75 करोड़) 2. कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा (अन्य प्रभार) (₹ 713.61 करोड़ जिसमें से भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 221.20 करोड़) 3. हवाई अड्डा संगठनों सहित बंदरगाह स्वास्थ्य संस्थान- थर्मल स्कैनर्स का प्रापण (ईएपी)- आपूर्ति एवं सामग्री (₹ 21.71 करोड़)।

₹ 4143.36 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (फेज-1 एवं फेज II) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) कोविड -19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ₹ 3650.37 करोड़ की पूरक राशि अनुदान तथा शेष (₹ 492.99 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से पूरी की जाएगी।

- (ख) (i) जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान 1. भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज II-केंद्रीय अस्पताल (₹ 23.21 करोड़): (i) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 15.61 करोड़) (ii) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इफाल (₹ 7.60 करोड़) (ii) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के लिए भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज II के सृजन के लिए अनुदान (₹ 9.89 करोड़)। (iii) भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (i) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 8 करोड़) (ii) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इफाल (₹ 19.26 करोड़)।

package Phase-II (GBS) - Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 135 crore), All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 10 crore), Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 5 crore), Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (₹ 6.33 crore) 2. Lala Ram Swarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 13.50 crore) (IV) For meeting additional requirement on 1. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-I & II (GBS)/(EAP) - National Rural Health Mission - UTs without Legislature (₹ 123.25 crore), Procurement of Supplies & Materials (GBS) (₹ 1881.40 crore) & (EAP) (₹ 118.78 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India), Central Hospitals (₹ 331.44 crore): (i) Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 47.20 crore) - Salary (₹ 7.10 crore), Professional Services (12.30 crore), Office Expenses (₹ 2.10 crore), Supplies & Materials (₹ 25.70 crore). ii. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹ 63.89 crore) - Office Expenses (₹ 12.89 crore), Supplies & Materials (₹ 17 crore), Professional Services (₹ 34 crore). iii. Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi. (₹ 44.20 crore)- Salary (₹ 12.91 crore), Office Expenses (₹ 8 crore), Supplies & Materials (₹ 12 crore), Professional Services (₹ 11.29 crore) iv. Port Health Establishment including Airport Organizations - Surveillance at International Airports (₹ 26.50 crore) - Supplies & Materials (₹ 23.56 crore), Professional Services (₹ 2.90 crore). v. Health Sector Disaster Preparedness and Response (₹ 145.75 Crore) - Supplies & Materials (₹ 136.25 crore), Professional Services (₹ 9.50 crore) vi. National Centre for Disease Control (NCDC) (₹ 3.90 crore) - Office Expenses (₹ 3 crore), Professional Services (₹ 0.90 crore) & (EAP) (₹ 116.70 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) - Office Expenses (₹ 21.95 crore), Supplies & Material (₹ 75 crore), Professional Services (₹ 19.75 crore) 2. Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) Insurance for Health Workers Fighting COVID -19 (Other Charges (₹ 713.61Crore, out of which ₹ 221.20 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) 3. Port Health Establishment including Airport Organizations - Procurement of Thermal Scanners (EAP) - Supplies & Materials (₹ 21.71 crore)

Against additional requirement of ₹ 4143.36 crore, Cash Supplementary Grant of ₹ 3650.37 crore on account of India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Packages (Phase-I & Phase-II) and Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) Insurance for Health Workers Fighting COVID -19 and rest (₹ 492.99 crore) will be met from the savings available in the same Section of the Grant.

For meeting additional requirement under Grants for creation of Capital Assets in Population Research Centres (₹ 10 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(I) Grants in aid General for meeting additional requirement under 1. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II - Central Hospitals (₹ 23.21 crore): (i) North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 15.61 crore), (ii) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 7.60 crore). (II) Grants for creation of Capital Assets under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II for North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 9.89 crore). (III) Grants in aid Salaries under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II for (i) North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 8 crore) (ii) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 19.26 crore)

इसमें ₹ 60.36 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 60.36 crore	
(घ)	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-भारत कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज II (जीबीएस) (₹ 10727.50 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(d)	Grants-in-aid General for meeting additional requirement under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II (GBS) (₹ 10727.50 crore)
इसमें ₹ 10727.50 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a net cash outgo. of ₹ 10727.50 crore.	
(ङ)	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज फेज II (जीबीएस) (₹ 1479.65 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(e)	Grants-in-aid General- for meeting additional requirement under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase-II (GBS) (₹ 1479.65 crore)
इसमें ₹ 1479.65 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a net cash outgo. of ₹ 1479.65 crore.	
(च)	भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी)/(जीबीएस) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए पूरा अनुदान की आवश्यकता हेतु (i) आपूर्ति एवं सामग्री, मशीन एवं उपकरण (ईएपी) (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 481.16 करोड़)। (ii) स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं अनुक्रिया (जीबीएस) (मशीन एवं उपकरण) (₹ 30.50 करोड़), (iii) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (जीबीएस) (मशीन एवं उपकरण) (₹ 25 करोड़) एवं (ईएपी) मशीन एवं उपकरण (भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 9 करोड़)।	(f)	For meeting the additional expenditure under India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package (EAP)/(GBS) for (i) Supplies & Materials, Machinery & Equipment (EAP) (₹ 481.16 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India), (ii) Health Sector Disaster Preparedness and Response (GBS) (Machinery and Equipment) (₹ 30.50 crore), (iii) National Centre for Disease Control (GBS) (Machinery and Equipment) (₹ 25 crore) & (EAP) Machinery and Equipment (₹ 9 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India).
इसमें ₹ 545.66 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 545.66 crore.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 45

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2663.00	2663.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	2663.00	2663.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	526.28	526.28
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	526.28	526.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3189.28	3189.28
राजस्व	Revenue	...	3189.28	3189.28
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	526.28	526.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, जिसमें ईएपी के तहत आपातकालीन महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 423.41 करोड़) और पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 102.87 करोड़) शामिल है। ₹ 526.28 करोड़ की इस राशि की प्रतिपूर्ति भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम के एवज में की जानी है।

इसमें ₹ 526.28 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

For meeting the additional expenditure of Indian Council of Medical Research (ICMR) comprising Grant in Aid General (₹ 423.41 crore) & Grant for Creation of Capital Assets for Emergency Epidemic Preparedness and Response under EAP (₹ 102.87 crore). This amount of ₹ 526.28 crore is to be recouped against the advance drawn from the Contingency Fund of India.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 526.28 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	927.85	927.85
पूँजी	Capital	...	67.42	67.42
जोड़	Total	...	995.27	995.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	110.05	110.05
जोड़	Total	...	110.06	110.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1105.33	1105.33
राजस्व	Revenue	...	927.86	927.86
पूँजी	Capital	...	177.47	177.47
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय	4860-Capital Outlay on Consumer Industries	...	78.41 (खब)	78.41
6858-अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries	...	0.01 (गक)	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	31.63 (घद)	31.63
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	110.05	110.05
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	110.06	110.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) बीपीसीएल के परिसमापन के लिए सीएफआई अग्रिम राशि की संस्वीकृति की प्रतिपूर्ति के लिए 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 168.22 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत निवेश (₹ 78.41 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध उद्योग विकास परिषद योजना के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम (₹ 67.22 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायता' योजना के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम (₹ 31.63 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 168.22 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises' for recoupment of Contingency Fund of India advance sanction for closure of BPCL.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards Investment (₹ 78.41 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'.
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (c) Meeting expenditure towards Loan and Advances (₹ 67.22 crore) under the scheme 'Development Council for Automobile and Allied Industries'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Meeting expenditure towards Loans and Advances (₹ 31.63 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'.
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	8.02	95424.05	95432.07
पूंजी	Capital	8.32	9721.72	9730.04
जोड़	Total	16.34	105145.77	105162.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16.34	105145.80	105162.14
राजस्व	Revenue	8.02	95424.07	95432.09
पूंजी	Capital	8.32	9721.73	9730.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01 (का)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के तहत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (₹ 16.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के तहत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (₹ 0.01 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य (₹ 25 करोड़), (ii) मशीनरी और उपकरण (सामान्य) के अंतर्गत असम रायफल्स (₹ 16.34 करोड़) और मोटर वाहन के तहत (सामान्य) (₹ 8.20 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Border Area Development Programme(BADP) under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 16.00 Crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Border Area Development Programme(BADP) under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 Crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Indo-Myanmar Border Works under Major Works (₹ 25.00 Crore) (ii) Assam Rifles under Machinery & Equipment (Gen) (₹ 16.34 Crore) and Motor Vehicles (Gen)(₹ 8.20 Crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54

लद्दाख
LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2331.64	2331.64
पूँजी	Capital	...	3626.36	3626.36
जोड़	Total	...	5958.00	5958.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.11	0.11
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.11	0.11
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5958.11	5958.11
राजस्व	Revenue	...	2331.75	2331.75
पूँजी	Capital	...	3626.36	3626.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	0.01 (का)	0.01
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (खब)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (गक)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (घद)	0.01
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01 (डे)	0.01
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	...	0.01 (चफ)	0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (छग)	0.01
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01 (जह)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (झा)	0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01 (टज)	0.01
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01 (ठक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.11	0.11
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'निर्वाचन' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting the additional requirement towards 'Elections' under various heads (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'सामान्य शिक्षा' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.08 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting the additional requirement towards 'General Education' under various heads (₹ 0.08 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'तकनीकी शिक्षा' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	meeting the additional requirement towards 'Technical Education' under various heads (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	"आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमवाईएवाई)" (₹ 2.17 करोड़) और जिला अस्पतालों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को चलाने के लिए (₹ 6.90 करोड़) कोविड-19 के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने (₹ 73.52 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	meeting the additional expenditure on account of COVID-19 (₹ 73.52 crore); for running of Central Heating System in District Hospitals (₹ 6.90 crore) and "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Aarogya Yagna (AB-PMYAY)" (₹ 2.17 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ङ)	टैंकरों को किराए पर लेने के व्यय को पूरा करने के लिए 'जलापूर्ति और स्वच्छता' के अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 2.00 करोड़ - अन्य प्रभार)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	meeting the additional requirement towards 'Water Supply and Sanitation' to meet the expenditure on account of hiring of tankers (₹ 2.00 crore - Other Charges). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(च)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'सूचना और प्रचार' की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)।	(f)	meeting the additional requirement towards 'Information and Publicity' under various heads (₹ 0.02 crore).	

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'अ.ज.जा., अ.जा., अ.प.वर्ग और अल्पसंख्यकों' की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.11 करोड़)।	(g)	meeting the additional requirement towards 'Welfare of SCs, STs, OBCs and Minorities' under various heads (₹ 0.11 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 1.50 करोड़)।	(h)	meeting the additional requirement towards 'Labour, Employment and Skill Development' under various heads (₹ 1.50 crore under Grants-in-aid General).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.66 करोड़)।	(i)	meeting the additional requirement towards 'Social Security and Welfare' under various heads (₹ 0.66 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	लद्दाख के संघ शासित क्षेत्र को आपदा अनुक्रिया निधि के लिए 'प्राकृतिक आपदा के कारण राहत' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)।	(j)	meeting the additional requirement towards 'Relief on account of Natural Calamities' for Disaster Response Fund for the UT of Ladakh (₹ 5.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	पीओएल के अंतर्गत 'ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम' हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 1.50 करोड़)।	(k)	meeting the additional requirement towards 'Special Programmes for Rural Development' under P.O.L. (₹ 1.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 55

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1238.21	1238.21
पूँजी	Capital	...	229.10	229.10
जोड़	Total	...	1467.31	1467.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1467.32	1467.32
राजस्व	Revenue	...	1238.22	1238.22
पूँजी	Capital	...	229.10	229.10
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पंचायत निदेशालय के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करने की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 4.75 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement for releasing Grants-in-aid General towards implementation of Solid Waste Management Programme under Directorate of Panchayat (₹ 4.75 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	106.85	36885.14	36991.99
पूँजी	Capital	35.07	25723.95	25759.02
जोड़	Total	141.92	62609.09	62751.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	141.92	62609.11	62751.03
राजस्व	Revenue	106.85	36885.14	36991.99
पूँजी	Capital	35.07	25723.97	25759.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (का)	0.01
4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत सामान्य पूल कार्यालय आवास (जीपीओए) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 460 करोड़) (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत नई संसद संबंधी कार्यों की जारी परियोजना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)/केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) परियोजनाओं, मिंटो रोड पर लेखन सामग्री तथा मुद्रण भवन के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 50.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) additional expenditure towards Major Works for construction of various projects under General Pool Office Accommodation (GPOA) (₹ 460 Crore) and (ii) additional expenditure for ongoing project of New Parliament works, Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC)/Central Board of Direct Taxes (CBDT) projects, Stationery & Printing Building at Minto Road under Major Works (₹ 50.00 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) additional expenditure towards Major Works for various projects under General Pool Residential Accommodation (GPRA) (₹ 100 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8756.92	8756.92
पूँजी	Capital	...	344.77	344.77
जोड़	Total	...	9101.69	9101.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	50.00	50.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	50.00	50.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	9151.69	9151.69
राजस्व	Revenue	...	8806.92	8806.92
पूँजी	Capital	...	344.77	344.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	50.00	50.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के लिए 'नदी बेसिन प्रबंधन' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 13.12 करोड़)।
- (ii) ईएपी घटक के लिए 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़) और पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 25 करोड़)।
- (iii) कार्यक्रम घटक के लिए 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़) और पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 25 करोड़)।
अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के पश्चात्, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants-in aid Salaries under the scheme 'River Basin Management' for National Water Development Agency (NWDA) (₹ 13.12 crore).
- (ii) Grants-in-aid General (₹ 25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25 crore) under the scheme 'National Hydrology Project (NHP)' for EAP Component.
- (iii) Grants-in-aid General (₹ 25 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25 crore) under the scheme 'National Hydrology Project (NHP)' for Program Component.
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1745.82	1745.82
पूंजी	Capital	...	1100.00	1100.00
जोड़	Total	...	2845.82	2845.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	23.25	23.25
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	23.25	23.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2869.07	2869.07
राजस्व	Revenue	...	1769.07	1769.07
पूंजी	Capital	...	1100.00	1100.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	23.25	23.25

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अकादमिक एवं प्रचालनात्मक व्यय (₹ 18.25 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Grants-in-Aid General for academic and operational expenditure (₹ 18.25 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 5 crore) of National Judicial Academy.

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 67

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	15329.65	15329.65
पूँजी	Capital	...	370.00	370.00
जोड़	Total	...	15699.65	15699.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	15699.67	15699.67
राजस्व	Revenue	...	15329.67	15329.67
पूँजी	Capital	...	370.00	370.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' के तहत सब्सिडियों (₹ 50.00 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना, (ii) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि' स्कीम के तहत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 25.00 करोड़) और (iii) 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना)' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' के तहत सब्सिडियों (₹ 450.00 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना, (ii) 'अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) (iii) 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना)' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.00 करोड़) और (iv) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि' स्कीम के तहत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 222.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)', (ii) Meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)' and (iii) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 1.50 crore) under the scheme 'ASPIRE (Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 450.00 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)', (ii) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 3.00 crore) and Grants in Aid Salary (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building', (iii) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 8.00 crore) under the scheme 'ASPIRE (Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship)' and (iv) Meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 222.50 crore) under the scheme 'Scheme for Fund for Regeneration of Traditional industries (SFURTI)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4657.75	4657.75
पूँजी	Capital	...	153.02	153.02
जोड़	Total	...	4810.77	4810.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4810.78	4810.78
राजस्व	Revenue	...	4657.76	4657.76
पूँजी	Capital	...	153.02	153.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) अनुदान प्राप्तकर्ता का दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (I) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 3.50 crore) for National Commission for Minorities for providing Grantee status. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	30.28	1829.93	1860.21
पूँजी	Capital	11.65	186.71	198.36
जोड़	Total	41.93	2016.64	2058.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	41.93	2016.66	2058.59
राजस्व	Revenue	30.28	1829.95	1860.23
पूँजी	Capital	11.65	186.71	198.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान के नवीनीकरण के लिए खर्च को पूरा करने हेतु (₹ 11.04 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) स्वच्छता कार्यवाई योजना (₹ 1.00 करोड़) और (ii) सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 9.00 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक सेवा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)-एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 (आई जीओटी 2.0) हेतु खर्च को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards renovation of office space at Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi under Minor Works (₹ 11.04 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure of National Programme for Civil Services and Capacity Building (NPCSCB)- Integrated Government Online Training Programme 2.0 (IGOT 2.0) under (i) Swachhta Action Plan (₹ 1.00 Crore) and (ii) Information Technology (₹ 9.00 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 75
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	15866.78	15866.78
पूँजी	Capital	...	427.00	427.00
जोड़	Total	...	16293.78	16293.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	16293.79	16293.79
राजस्व	Revenue	...	15866.79	15866.79
पूँजी	Capital	...	427.00	427.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन स्कीम (पीएमयूवाई) में सब्सिडी के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 1600 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing additional funds for Subsidies in the scheme for LPG connection to poor Households, (PMUY) (₹ 1600 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1859.35	1859.35
पूँजी	Capital	...	353.00	353.00
जोड़	Total	...	2212.35	2212.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2212.36	2212.36
राजस्व	Revenue	...	1859.36	1859.36
पूँजी	Capital	...	353.00	353.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास (एसएमपीके) द्वारा हुगली नदी और हल्दिया चैनल के तलक़र्षण और रखरखाव हेतु सब्सिडी (₹ 101.62 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Subsidy for dredging and maintenance of River Hooghly and Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port Trust (SMPK) (₹ 101.62 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	466.00	275986.65	276452.65
पूँजी	Capital	92.08	304836.88	304928.96
जोड़	Total	558.08	580823.53	581381.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	558.08	580823.54	581381.62
राजस्व	Revenue	466.00	275986.65	276452.65
पूँजी	Capital	92.08	304836.89	304928.97
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूँजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- भारतीय रेलवे में पचास (50) स्थानों पर स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र के संस्थापन की लागत के लिए ₹ 107.50 करोड़ ;
 - बाईस (22) रेलवे स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले फ्लोर पिट व्हील लेथ के तहत कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (सीएनसी) का लागत मूल्य ₹ 137.85 करोड़ ; और
 - 36,407 मालडिब्बों में प्रत्येक पर ₹ 20,000 की दर से दोहरे पाइप ब्रेक प्रणाली के रिट्रोफिटमेंट के लिए ₹ 72.81 करोड़ की लागत को पूरा करने के लिए ।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- ₹ 107.50 crore towards cost of installation of Automatic Coach Washing Plants at fifty (50) locations across Indian Railways;
- ₹ 137.85 crore being the cost of Computer Numerical Control (CNC) under floor pit wheel lathe to be installed at twenty two (22) railway locations; and
- meeting the cost of ₹ 72.81 crore for retrofitment of twin pipe brake system @ ₹ 20,000 each in 36,407 wagons.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19668.06	19668.06
पूँजी	Capital	10.00	207840.29	207850.29
जोड़	Total	10.00	227508.35	227518.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	227508.36	227518.36
राजस्व	Revenue	...	19668.06	19668.06
पूँजी	Capital	10.00	207840.30	207850.30
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

रोप वे के विकास के लिए 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 100 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

additional expenditure under 'Major Works' for Development of Ropeways (₹ 100 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	234019.08	234019.08
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	234019.08	234019.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	234019.10	234019.10
राजस्व	Revenue	...	234019.10	234019.10
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	0.01 (का)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना: (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 'उन्नति' परियोजना (₹ 0.06 करोड़) के लिए क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता हेतु नए लेखाशीर्ष खोलना। (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख एवं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लंबित निधि अंतरण आदेश को स्वीकृत करना (₹ 65 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर (विधानमंडल सहित) के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.35 करोड़) जारी करने हेतु उन्नति परियोजना के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के लिए नए लेखाशीर्ष खोलना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing Grants for creation of Capital Assets for (i) opening of new Head of Account for "Capacity Building and Technical Support for project UNNATI (₹ 0.06 crore) to Andaman and Nicobar Island and (ii) to clear the pending Fund Transfer Orders in Union Territory of Ladakh and Union Territory of Andaman and Nicobar Island (₹ 65 crore) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) opening of new Head of Account for "Capacity Building and Technical Support for project UNNATI to release Grants for creation of capital assets (₹ 1.35 crore) to Jammu & Kashmir (with legislature) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2170.42	2170.42
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	2170.42	2170.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2170.43	2170.43
राजस्व	Revenue	...	2170.43	2170.43
पूँजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलसंभर विकास कार्यक्रम के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (बिना विधानमंडल) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) जारी करने के लिए पृथक बजट शीर्ष खोलना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

opening a separate Budget Head to release Grants-in-aid General (₹ 5 crore) to Union Territory of Ladakh (without Legislature) under the scheme Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Programme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

3425-Other Scientific Research

...	0.01	0.01
-----	------	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन के लिए 'अनुसूचित जाति उप योजना' के लिए (₹ 20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 10 करोड़) के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets under Scheduled Castes Sub Plan (₹ 20 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 10 crore) for Innovation, Technology Development and Deployment.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2711.53	2711.53
पूंजी	Capital	...	73.70	73.70
जोड़	Total	...	2785.23	2785.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	10.01	10.01
जोड़	Total	...	10.02	10.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2795.25	2795.25
राजस्व	Revenue	...	2711.54	2711.54
पूंजी	Capital	...	83.71	83.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(खब) 0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	10.00	(गक) 10.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	10.01	10.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	10.02	10.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'कौशल विकास' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.08 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 'सचिवालय' योजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 56 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) 'सचिवालय' योजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 10 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 0.08 crore) under the scheme "Development of Skills".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards Major Works (₹ 56.00 crore) under "Secretariat".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting expenditure towards Major Works (₹ 10.00 crore) under "Secretariat".
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10197.62	10197.62
पूँजी	Capital	...	370.00	370.00
जोड़	Total	...	10567.62	10567.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10567.65	10567.65
राजस्व	Revenue	...	10197.65	10197.65
पूँजी	Capital	...	370.00	370.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(क) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ख) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों तथा बालिकाओं की छात्रावास के तहत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 7 करोड़) (ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया (पीएम यशस्वी) पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम में उत्कृष्ट श्रेणी विद्यालयों (₹ 158.75 करोड़) और उत्कृष्ट श्रेणी कॉलेजों (₹ 288.65 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (iii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) के अंतर्गत छात्रवृत्ति/ वृत्तिका (1) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 3413.12 करोड़) (2) अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (₹ 725 करोड़) (3) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी) के अंतर्गत उत्कृष्ट श्रेणी विद्यालयों (₹ 20 करोड़) और श्रेणी उत्कृष्ट कॉलेजों (₹ 50 करोड़) (iv) डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों और बालिकाओं को छात्रावास के तहत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 12 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम यशस्वी) में ओबीसी के बालकों व बालिकाओं को छात्रावास के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants for Creation of Capital Assets under Boys and Girls Hostel for OBCs under PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs (₹ 7 crore). (ii) Grants in aid General under Top Class Schools (₹ 158.75 crore) and Top Class Colleges (₹ 288.65 crore) in the Scheme PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India for OBCs, EBCs and DNTs. (iii) Scholarship/Stipend under (1) Post Matric Scholarship for SC Students (₹ 3413.12 crore) (2) Pre Matric Scholarship for SCs and Others (₹ 725 crore) (3) Top Class Schools (₹ 20 crore) and Top Class Colleges (₹ 50 crore) in the PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs. (iv) Grants in aid Salaries under Dr. Ambedkar International Centre (₹ 2.50 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for Creation of Capital Assets under Boys and Girls Hostel for OBCs in the Scheme PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for Vibrant India for OBCs EBCs and DNTs (₹ 12 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants for Creation of Capital Assets under Boys and Girls Hostel for OBCs in the Scheme PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for Vibrant India for OBCs EBCs and DNTs (₹ 1 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5719.86	5720.46
पूँजी	Capital	0.40	8228.23	8228.63
जोड़	Total	1.00	13948.09	13949.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13948.11	13949.11
राजस्व	Revenue	0.60	5719.87	5720.47
पूँजी	Capital	0.40	8228.24	8228.64
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इनसेट /जीसेट ट्रांसपॉन्डरों को पट्टे पर देने के लिए सेवा प्रभार हेतु अन्य संविदात्मक सेवाओं का व्यय पूरा करने के लिए (₹ 40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) प्रौद्योगिकी प्रतिदर्श अंतरिक्षयान के लिए अन्य पूँजीगत व्यय हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards Other Contractual Services for Service Charges for Leasing INSAT/GSAT Transponders (₹ 40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards Other Capital Expenditure for Technology Demonstration Spacecraft (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1396.09	1396.09
पूँजी	Capital	...	13.04	13.04
जोड़	Total	...	1409.13	1409.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1172.50	1172.50
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	1172.50	1172.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2581.63	2581.63
राजस्व	Revenue	...	2568.59	2568.59
पूँजी	Capital	...	13.04	13.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2553-MPs Local Area Development Scheme	...	1172.50	1172.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2019-20 के लिए लंबित देनदारियों (₹ 1172.50 करोड़) को मंजूरी देने के लिए एमपीएलएडीएस के तहत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets under MPLADS for clearing pending liabilities (₹ 1172.50 crore) for 2019-20.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3591.61	3591.61
पूँजी	Capital	...	40.03	40.03
जोड़	Total	...	3631.64	3631.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	66.21	66.21
जोड़	Total	...	66.23	66.23
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3697.87	3697.87
राजस्व	Revenue	...	3591.63	3591.63
पूँजी	Capital	...	106.24	106.24
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (क) 0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (ख) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	66.21 (ग) 66.21	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	66.23	66.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i) 'अन्य हथकरघा योजना' स्कीम के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए, (ii) 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए और (iii) 'व्यापक पावरलूम क्लस्टर विकास कार्यक्रम-पावरलूम मेगा क्लस्टर' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(a)	(i) Meeting expenditure towards Grant in Aid Salary (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Other Handloom Schemes', (ii) Meeting expenditure towards Grant in Aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Integrated Wool Development Programme' and (iii) Meeting expenditure towards Grant in Aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Comprehensive Powerloom Cluster Development Program - Powerloom Mega Cluster'.
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' योजना के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 35.00 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	(c)	Meeting expenditure towards Grant for Creation of Capital Assets (₹ 35.00 crore) under the Scheme 'National Technical Textiles Mission'.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता' योजना के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों (₹ 66.21 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		Meeting expenditure towards Loans and Advances (₹ 66.21 crore) under the Scheme 'Support to PSU's'.
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	24930.00	24930.00
पूँजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	24935.00	24935.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	24935.02	24935.02
राजस्व	Revenue	...	24930.02	24930.02
पूँजी	Capital	...	5.00	5.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.26 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards Grant in aid General in respect of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) (₹ 1.26 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards Grant in aid General in respect of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) (₹ 0.10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
I. मूल अनुदान:				
राजस्व	...	2549.41		2549.41
पूँजी	...	46.73		46.73
जोड़	...	2596.14		2596.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:				
राजस्व	...	43.72		43.72
पूँजी	...	0.01		0.01
जोड़	...	43.73		43.73
जोड़ (मूल और पूरक)	...	2639.87		2639.87
राजस्व	...	2593.13		2593.13
पूँजी	...	46.74		46.74
I. ORIGINAL GRANT:				
Revenue	...	2549.41		2549.41
Capital	...	46.73		46.73
Total	...	2596.14		2596.14
Supplementary Estimate of the amount now required:				
Revenue	...	43.72		43.72
Capital	...	0.01		0.01
Total	...	43.73		43.73
Total (Original plus Supplementary)	...	2639.87		2639.87
Revenue	...	2593.13		2593.13
Capital	...	46.74		46.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2204-खेल और युवा मामले	...	0.72 (क)	0.72	0.72
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	43.00 (ख)	43.00	43.00
जोड़ (राजस्व भाग)	...	43.72		43.72
पूँजी भाग				
मुख्य शीर्ष				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	...	0.01 (ग)	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	...	43.73		43.73
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
2204-Sports and Youth Services	...	0.72 (क)	0.72	0.72
2552-North Eastern Areas	...	43.00 (ख)	43.00	43.00
Total (Revenue Section)	...	43.72		43.72
CAPITAL SECTION				
MAJOR HEAD				
4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (ग)	0.01	0.01
Total (Supplementary)	...	43.73		43.73

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) युवा छात्रावास योजना के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹ 1.68 करोड़),
(ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय (₹ 0.72 करोड़) एवं (2) खेलो इंडिया (₹ 100 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों एवं अनुदान के पूँजी भाग में ₹ 0.72 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 187.78 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों एवं अनुदान के पूँजी भाग में ₹ 43 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) युवा छात्रावास के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹ 2 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Minor Work under the Youth Hostel Scheme (₹ 1.68 crore),
(ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme
(1) Sports University in North East (₹ 0.72 crore) and (2) Khelo India (₹ 100 crore)
Taking into account savings available in the same section of the grant and the surrender of savings of ₹ 0.72 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Sports University in North East (₹ 187.78 crore).
Taking into account savings available in the same section of the grant and the surrender of savings available of ₹ 43 crore in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (c) Minor Work under Youth Hostel (₹ 2 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संसद को विवरण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग का परिशिष्ट

अनुबंध 'क'
(₹ करोड़ में)

से			को		
पूंजी भाग (स्वीकृत)			पूंजी भाग (स्वीकृत)		
शीर्ष	नामकरण	राशि	शीर्ष	नामकरण	राशि
6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण		6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण	
04	चीनी		04	चीनी	
190	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को ऋण		190	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को ऋण	
06	खोई पर आधारित विद्युत् सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए चीनी फैक्ट्रियाँ		07	एन्हाइड्रस अल्कोहल के अथवा अल्कोहल से एथनोल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियाँ	
06.00.55	ऋण और अग्रिम	1.97	07.00.55	ऋण और अग्रिम	1.97

कारण निम्नलिखित हैं : -

बचत : बचत, ऋण के संवितरण के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा न करने के कारण है।**आधिव्यय:** स्कीम के तहत अनुमान से अधिक प्राप्त प्रस्तावों के संवितरण के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है क्योंकि बजट अनुमान 2020-21 की राशि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

ANNEXURE FOR REPORT TO PARLIAMENT WITH RESPECT TO DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

Annexure - 'A'

(₹ in Crore)

From			To		
Capital Section (Voted)			Capital Section (Voted)		
Head	Nomenclature	Amount	Head	Nomenclature	Amount
6860	Loans for Consumer Industries		6860	Loans for Consumer Industries	
04	Sugar		04	Sugar	
190	Loans to Public Sector and Other Undertakings		190	Loans to Public Sector and Other Undertakings	
06	Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project		07	Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol	
06.00.55	Loans and Advances	1.97	07.00.55	Loans and Advances	1.97

The reasons are as under: -**Saving :** Saving is due to non-fulfillment of conditions necessary for the disbursal of the loan.**Excess :** Excess is required for disbursal of more proposals received than anticipated under the scheme as the BE 2020-21 has already been exhausted.